

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

मिसल संख्या - 310/2021

निर्णय दिनांक :- 21/3/2022

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. मंदिर श्री पारसनाथ जी जैन मन्दिर जरिए पुजारी जितेन्द्र कुमार जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0

-प्रार्थी पक्ष-

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0


-अप्रार्थी पक्ष-

प्रार्थना-पत्र पत्थरगढी बाबत अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट  
आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार ख0नं0 875 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 881 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 882 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम चांदली तहसील देवली जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाशत की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है व पडोसी खातेदारों से विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नहीं है।

अतः जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में अंकित ख0नं0 875 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 881 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 882 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम चांदली की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/- निर्धारित की जाकर एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है

  
(भारत भूषण गोयल)  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली